दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

निर्णय की तिथि: 30 अगस्त, 2024

के मामले में:

ज़मानत आवेदन 2432/2024

प्रीति चावला .....याचिकाकर्ता

द्वारा : श्री मोहित माथुर, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री अजय मेहरोत्रा। श्री हर्ष गौतम, श्री दीपल गोयल, श्री विग्नेश रामनाथन, अधिवक्तागण।

बनाम

रा.रा.क्षे. दिल्ली राज्य .....प्रत्यर्थी

द्वारा : श्री युद्धवीर सिंह चौहान और श्री अमन उस्मान, राज्य हेतु अति.लो.अभि. सहित सुश्री अमनप्रीत जुनेजा, सुश्री श्रुति शर्मा, श्री गौरव शर्मा, श्री आदित्य सिंह, श्री अंकित त्रिपाठी, श्री गौरव दुआ, श्री गौरव गुप्ता, सुश्री सपना, सुश्री मोनिका त्यागी, सुश्री प्रियंका त्यागी, सुश्री गरिमा खेतल, श्री अभिनव शर्मा, श्री विजय कुमार, श्री निखिल त्यागी, अधिवक्तागण।
उप-निरीक्षक राजबीर सिंह, राज्य के महा अधिवक्ता, अपराध शाखा।

कोरम:
माननीय न्यायमूर्ति श्री सुब्रमण्यम प्रसाद

<u>निर्णय (मौखिक)</u>

1. याचिकाकर्ता ने स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (इसके बाद "एनडीपीएस अधिनियम" के रूप में संदर्भित) की धारा 27क के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दिनांक 18.10.2023 को थाना अपराध शाखा, दिल्ली में पंजीकृत प्राथमिकी सं. 248/2023 में नियमित जमानत देने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

2. मामले के तथ्य यह प्रकटन करते हैं कि दिनांक 18.10.2023 को राज्य के महा अधिवक्ता/अपराध शाखा को एक गुप्त सूचना प्राप्त हुई कि लोकेश ढींगरा उर्फ़ लोकी अपने साथियों मनशेर और मुकुल उर्फ़ विवेक के साथ मिलकर अलग-अलग पतों और नामों से ऑर्डर करके डार्क वेब से मारिजुआना (अमेरिकी गांजा) का अवैध आयात कर रहा है। यह बताया गया कि एक पार्सल डाकघर में पहुंचा और अभियुक्त मुकुल उर्फ़ विवेक पते के बाहर पहुंचा और फर्ज़ी आईडी दिखाकर पार्सल प्राप्त किया। यह बताया गया कि एक और पार्सल आर.के.पुरम डाकघर पहुंचा। यह भी बताया गया कि सूचना मिलने पर एक छापेमारी दल का गठन किया गया और आर.के. पुरम डाकघर में छापेमारी की गई। डाकघर में, डाकपाल(पोस्ट मास्टर) ने पार्सल के डाकघर में होने की पुष्टि

की और आगे कहा कि पार्सल प्रेषक को वापस किया जा रहा है क्योंकि यह डिलीवर नहीं हो पाया क्योंकि प्राप्तकर्ता पते पर नहीं पाया गया। यह बताया गया कि, इसके परिणामस्वरूप, उक्त पार्सल के निरीक्षण/अभिग्रहण हेतु डाक विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमोदन मांगा गया था। यह बताया गया कि आवश्यक अनुमोदन के बाद, उक्त पार्सल को डाकपाल के सामने खोला गया और उसमें 1593 ग्राम मारिजुआना (अमेरिकी गांजा) पाया गया और उसका अभिग्रहण कर लिया गया। यह बताया गया कि इस बीच, संबंधित डाकिया डाकघर में आया और कहा कि पार्सल एक विवेक उर्फ़ मुकुल का है, जिसने पहले अलग-अलग पते पर विभिन्न व्यक्तियों के माध्यम से समान पार्सल प्राप्त किए थे।

3. बताया गया है कि अन्वेषण के दौरान, लोकेश उर्फ़ लोकी, मनशेर और विवेक को बीच में रोकने की कोशिश की गई जो एक होंडा सिटी कार में यात्रा कर रहे थे जिसे मनशेर चला रहा था किंतु जब पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, तो कार नहीं रुकी और दोनों फरार हो गए। बताया गया है कि छापे मारे गए किंतु वे पकड़ में नहीं आए। मनशेर के साथ-साथ लोकेश उर्फ़ लोकी और विवेक के विरुद्ध अजमानतीय वारंट जारी किए गए थे। बताया गया है कि अन्वेषण के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों के दो और पार्सल का पता लगाया गया और उक्त दो पार्सल का भी अभिग्रहण कर लिया गया और उनमें 3147 ग्राम मारिजुआना (अमेरिकी गांजा) मिला। बताया गया है कि

अजमानतीय वारंट जारी करने के बाद अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर भी जारी किया गया था।

4. बताया गया है कि दिनांक 08.11.2023 को आप्रवासन विभाग, मुंबई हवाई अड्डे से सूचना मिली कि थाईलैंड से आए अभियुक्त विवेक उर्फ़ मुकुल को मुंबई हवाई अड्डे पर गिरफ्तार कर लिया गया है और 05 दिनों की अभिरक्षा अभिप्राप्त की गई। बताया गया है कि अभिरक्षा के दौरान अभियुक्त विवेक उर्फ़ मुकुल ने प्रकटन किया कि लोकेश उर्फ़ लोकी नामक व्यक्ति, सिंडिकेट को मनशेर और शुभम नामक व्यक्ति के साथ मिलकर चला रहा है, जो बिटकॉइन और अन्य क्रिप्टो करेंसी के जरिए भुगतान करके डार्क वेब पर ऑर्डर देते हैं। बताया गया है कि एक बार जब पार्सल की सीमाशुल्क की कार्यवाही से निकासी हो जाती है, तो उसका ट्रैकिंग नंबर विवेक उर्फ़ मुकुल के साथ साझा किया जाता है और उसकी भूमिका डाकघरों से पार्सल एकत्र करना और निर्देशों के अनुसार पोर्टर ऐप के जरिए भेजना होता है। बताया गया है कि सिंडिकेट द्वारा फर्जी आईडी पर जारी सिम कार्ड वाले कई फोन सभी संचार के उद्देश्य से जारी किए जा रहे थे। बताया गया है कि पार्सल अभियुक्त के पास पहुंचने के बाद, इसे खुले बाजार में बेच दिया गया। अन्वेषण में आगे पता चला कि सह-अभियुक्त लोकेश ढींगरा और मनशेर दोनों का फ्लैट नं. 201, काउंटी होम्स, सेक्टर-64, मेदावास, गुरुग्राम, हरियाणा में पता लगाया गया, जहां वे छिपे हुए थे और पाया गया कि उक्त फ्लैट याचिकाकर्ता अर्थात् प्रीति

चावला का है। बताया गया है कि याचिकाकर्ता के मोबाइल फोन की जांच की गई और दिनांक 12.11.2023 अर्थात् दिवाली के दिन का एक वीडियो मिला। बताया गया है कि उक्त वीडियो में अभियुक्त लोकेश मनशेर के साथ याचिकाकर्ता के घर पर दिखाई दे रहा था। सह-अभियुक्त मनशेर और लोकेश की सीडीआर लोकेशन की जाँच की गई और यह पता चला कि वे याचिकाकर्ता के घर के आसपास के क्षेत्र में थे। अभिलिखित तथ्यों से यह भी पता चलता है कि गिरफ्तारी के दिन भी सह-अभियुक्त मनशेर और लोकेश याचिकाकर्ता के घर पर थे। परिणामस्वरूप, याचिकाकर्ता के विरुद्ध वर्तमान प्राथमिकी दर्ज की गई है।

5. याचिकाकर्ता को वर्तमान प्राथमिकी में दिनांक 24.02.2024 को गिरफ्तार किया गया था।

6. इसके बाद याचिकाकर्ता ने जमानत हेतु विचारण न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और विचारण न्यायालय ने दिनांक 08.04.2024 के आदेश के अंतर्गत याचिकाकर्ता की जमानत याचिका को मुख्य रूप से इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि सह-अभियुक्त मनशेर और लोकेश याचिकाकर्ता के घर पर रह रहे थे और मामला अन्वेषण के प्रारंभिक चरण में है।

7. अभिलिखित तथ्य यह भी प्रकटन करते हैं कि सह-अभियुक्त लोकेश ढींगरा उर्फ़ लोकी को विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 11.07.2024 के आदेश

के अंतर्गत मुख्य रूप से इस आधार पर जमानत दी गई थी कि इसमें शामिल मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है।

8. यह उल्लेख करना भी उचित है कि एक अन्य सह-अभियुक्त मनशेर सिंह की जमानत याचिका को विचारण न्यायालय ने दिनांक 30.05.2024 के आदेश के अंतर्गत इस आधार पर अस्वीकार कर दिया था कि इसमें वाणिज्यिक मात्रा शामिल थी।

9. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने प्रतिवाद किया कि लोकेश ढींगरा उर्फ़ लोकी और मनशेर सिंह तथा अन्य सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा किए जा रहे व्यवसाय में याचिकाकर्ता की मिलीभगत दिखाने के लिए कुछ भी अभिलिखित नहीं है। उसका प्रतिवाद है कि सह-अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा केवल याचिकाकर्ता के फ्लैट का उपयोग किया जा रहा था और केवल यही बात याचिकाकर्ता को प्राथमिकी में आलिप्त करने के लिए पर्याप्त नहीं है। उसने कहा कि किसी भी मामले में, सह-अभियुक्त लोकेश ढींगरा उर्फ़ लोकी को विचारण न्यायालय ने इस आधार पर जमानत दी है कि इसमें शामिल मात्रा वाणिज्यिक मात्रा नहीं है और इसलिए, याचिकाकर्ता भी उसी आधार पर जमानत पाने का हकदार है।

10. *इसके विपरीत,* राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अति.लो.अभि. ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि केवल 4074 ग्राम गांजा बरामद किया गया है जिसके आधार पर आरोप पत्र दायर किया गया है, परंतु सभी 27 पार्सलों का

संचयी वजन लगभग 46340 ग्राम है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कहीं अधिक है और इसलिए, याचिकाकर्ता को जमानत नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 37 के आधार लागू होंगे।

11. अभिलिखित तथ्य यह उपदर्शित करते हैं कि कुल बरामदगी लगभग 4074 ग्राम गांजा है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है और आरोप पत्र 4074 ग्राम गांजा की बरामदगी के आधार पर दायर किया गया है। विद्वान अति.लो.अभि. का प्रतिविरोध कि लगभग 27 पार्सल प्राप्त हुए हैं और सभी 27 पार्सल का संचयी वजन लगभग 46340 ग्राम है, याचिकाकर्ता को जमानत देने के उद्देश्य से इस समय ध्यान में नहीं लिया जा सकता है क्योंकि इस समय बरामद गांजे की मात्रा 4074 ग्राम है और आरोप पत्र 4074 ग्राम गांजे की बरामदगी के आधार पर दायर किया गया है, जो वाणिज्यिक मात्रा से कम है। राज्य के लिए यह प्रमाणित और सिद्ध करना खुला है कि गांजे की संचयी मात्रा 46340 ग्राम है।

12. यह उल्लेख करना उचित है कि सह-अभियुक्त लोकेश ढींगरा उर्फ़ लोकी और मनशेर याचिकाकर्ता के फ्लैट का उपयोग कर रहे थे और दिवाली के दिन एक वीडियो में उन्हें याचिकाकर्ता के साथ देखा गया था, इसके अलावा में ऐसा कुछ भी अभिलिखित नहीं है जिससे पता चले कि याचिकाकर्ता को लेन-देन के विषय में पता भी था। इसलिए, यह न्यायालय याचिकाकर्ता को निम्नलिखित शर्तों पर नियमित जमानत देने के लिए प्रवृत्त है:

क.) याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय/दंडाधिकारी/ड्यूटी दंडाधिकारी की संतुष्टि के लिए ₹1,00,000/- की राशि की सुरक्षा और उतनी ही राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने होंगे।

ख.) पक्षकारगण के ज्ञापन यह उपदर्शित करते है कि याचिकाकर्ता केजी-1/79, विकास पुरी, दिल्ली में रह रही है। याचिकाकर्ता को उक्त पते पर रहने का निर्देश दिया जाता है और उसे फ्लैट नं.201, काउंटी होम्स, सेक्टर-64, मेदावास, गुरुग्राम, हरियाणा में न जाने का निर्देश दिया जाता है, जहां सह-अभियुक्त व्यक्ति रह रहे थे।

ग.) याचिकाकर्ता संबंधित न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली नहीं छोड़ेगी।

घ.) याचिकाकर्ता को विचारण न्यायालय के समक्ष सभी कार्यवाहियों में उपस्थित रहने का निर्देश दिया जाता है।

ङ.) याचिकाकर्ता को प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को प्रातः 10 बजे संबंधित पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा तथा एक घंटे के भीतर सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद उसे निर्मुक्त कर दिया जाना चाहिए।

च.) याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह अपने सभी मोबाइल नंबर अन्वेषक अधिकारी को दे दें तथा उन्हें हर समय चालू रखें।

छ.) याचिकाकर्ता को साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ न करने का निर्देश दिया गया है।

ज.) याचिकाकर्ता को अपना पासपोर्ट विचारण न्यायालय में जमा करने का निर्देश दिया जाता है।

झ.) इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर याचिकाकर्ता को दी गई जमानत रद्द कर दी जाएगी।

13. इन निर्देशों के साथ, जमानत आवेदन का निपटान लंबित आवेदनों के साथ, यदि कोई हो, किया जाता है।

न्या. सुब्रमण्यम प्रसाद,

30 अगस्त 2024
एस. जाकिर

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरण : *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा/ समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*